न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
पत्रावली संख्या : 15/23 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2023/32

अनवान्

1. श्री नरेन्द्र कुमार पिता रूपलाल ब्राहम्ण निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रविकुमार पिता छोटूलाल सोनी निवासी वार्ड नम्बर 15 फतहनगर तह. मावली।
2. श्री जगदीशचन्द्र पिता जमनालाल शर्मा निवासी शिवसिंह जी का खेडा तह. मावली।
3. श्री प्रकाश पिता भगवानलाल जाट निवासी मोरठ तह. मावली।
4. श्री विष्णु पिता गौतमलाल शर्मा निवासी शर्मा मौहल्ला, शिवसिंह जी का खेडा तह. मावली।
5. श्री विजय कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 20 फतहनगर तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 30.06.2023

1. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का पेश कर प्रकरण में प्रार्थी को कोई न्याय की उम्मीद की संभावना नहीं बची है इसलिए प्रकरण को स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गई। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देना चाहकर सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. पर बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय हाजा के उक्त पत्रावली को अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब नहीं की गई एवं ना ही कार्यवाही स्थगित रखे जाने बाबत् स्थगन दिया गया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:43:33 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 जा.दी. का पेश किया, शामिल फाईल किया जावे। नकल दिलाई गई। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी द्वारा न्यायालय के माध्यम से साक्ष्य एकत्र करना बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से मौका रिपोर्ट चाही गई है परन्तु उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अन्य प्रकरण सं. 85/23 विविध नरेन्द्र कुमार बनाम रवि कुमार होकर उक्त पत्रावली को आज दिनांक को स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये हैं। अतः प्रकरण के आदेश पारित होने से अब इस पत्रावली में पृथक से मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 जा.दी. का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

3. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3091 मी. रकबा 0.0405 हेक्टेयर उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का मैं प्रार्थी खातेदार काश्तकार हूं तथा मैं प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर अपने परिवार के सदस्यों सहित काबिज होकर बिना किसी बाधा के निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं जिसमें विपक्षीगण अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है परन्तु विपक्षीगण मुझ प्रार्थी की जमीन के उत्तरी दिशा के पडौसी है अर्थात् आराजी नम्बर 3092 के पट्टेदार होकर भूमाफियां है जिस बात का नाजायज फायदा उठाकर मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि को जबरन हडपने की नियत से आराजी नम्बर 3092 की भूमि पर निर्माण कराने की आड में मुझ प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 3091 मी. की कुलिया भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर नींवे खुदवा दी और भारी तादाद में कारीगर मजदूर लगाकर नींव को भर कर द्रुतगति से निर्माण कराते हुए जमीन स्तर से 4–5 फीट ऊंचाई में कोलम का निर्माण करवा दिया। मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण द्वारा मेरी कृषि भूमि पर अवैधानिक रूप से करवाये जा रहे निर्माण की जानकारी होने पर मुझ प्रार्थी ने मौके पर जाकर विपक्षीगण को मेरी कृषि भूमि पर प्रस्तावित निर्माण कराने से मना किया किन्तु विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:13:33 IST
Reason: SelfAttested

मेरे मना करने पर भी नहीं माने और गाली गलौच कर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये और धमकी दी कि हमारे पास पैसा और पॉवर है, हम हमारी मर्जी होगी वहां पर कब्जा कर निर्माण करायेंगे और कोई भी आडे आयेगा तो उसे वहीं पर गाड देगें। इस प्रकार मुझ प्रार्थी द्वारा मना करने के बावजूद भी विपक्षीगण नहीं माने और अभी भी लाठी के दम पर जबरन अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाना प्रारम्भ करवा रखा है जबकि विपक्षीगण का मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण द्वारा बल पूर्वक मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर करवाये गये अवैध निर्माण को आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी करवाकर ध्वस्त करा हटवाने का अधिकारी हूं और विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर इनको पाबंद करवाने का अधिकारी हूँ। इसलिए मुझ प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि मुझ प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की है जिस पर मैं प्रार्थी बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो उपयोग उपभोग करता आया हूं। जिसमें विपक्षीगण या अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं हैं लेकिन विपक्षीगण भूमाफिया होकर मेरी कृषि भूमि के पडौसी होने की आड में अपने बाहूबल एवं धनबल के जरिये मेरी कृषि भूमि को हथियाना चाह रहे है और इसी नियत से विपक्षीगण मेरी कुलिया कृषि भूमि पर नाजायज तरीके से अतिक्रमण कर भार तादाद में कारीगर मजदूर लगाकर द्रुतगति से निर्माण करवा रहे है तथा मना करने भी नहीं मान रहे है और मरने मारने पर आमादा है। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर अनाधिकार रूप से कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करावे और मुझ प्रार्थी को मेरी कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूंचावे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, नींवे नहीं खोदे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें, मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से विपक्षीगण भुजबल एवं धनबल के जरिये मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि पर निर्माण करवाकर अतिक्रमण कर लेंगे जिससे मुझ प्रार्थी को अशोधनीय क्षति एवं अपरिमित हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना संभव नहीं है। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:43:33 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 17.02.2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण द्वारा उनके पट्टे सुदा भूमि पर निर्माण कराने के साथ ही मेरी कृषि भूमि पर जबरन नींव खोद कर निर्माण कराने की जानकारी हुई जिस पर मुझ प्रार्थी ने मौके पर जाकर विपक्षीगण को मेरी कृषि भूमि पर जबरन किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कराने हेतु कहा किन्तु विपक्षीगण नहीं माने और मरने मारने पर आमादा होकर मेरी कृषि भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कराना प्रारम्भ रखा, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कृषि भूमि का मुझ प्रार्थी व मेरे परिवारजन को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, बेदखल नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, कब्जा नहीं करे, नींवे नहीं खोदे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें, मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखें। ताईद में मुझ प्रार्थी का शपथ पत्र पेश हैं।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 5 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने मिथ्या एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर आप न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है जो अन्ततः सव्यय खारिज होगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड में स्थित होने का कथन स्वीकार है किन्तु हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजीयात प्रार्थी अथवा अन्य किसी के नाम पर दर्ज होने के तथ्य हम विपक्षीगण को कोई जानकारी नहीं है, उक्त तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करावें।

9. यह कि प्रार्थी द्वारा मनमाफिक रूप से मिथ्या तथ्यों का उल्लेख कर न्यायालय हाजा को गुमराह कर मनचाही दाद प्राप्त करनी चाही है क्योंकि प्रार्थी ने न्यायालय आपके सामने सही एवं वास्तविक तथ्यों का उल्लेख जानबुझकर नहीं किया हैं। प्रार्थी द्वारा उल्लेखित तथाकथित आराजीयात से हम विपक्षीगण का कोई सरोकार नहीं है न ही विपक्षीगण प्रार्थी द्वारा उल्लेखित उक्त आराजीयात के इंच मात्र हिस्से पर काबिज है न ही हमारे द्वारा प्रार्थी द्वारा उल्लेखित भूमि पर कोई अतिक्रमण किया गया है। प्रार्थी द्वारा जानबुझकर हम विपक्षीगण की छवि को मिथ्या एवं मनगढन्त आरोप लगा कर धुमिल किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह कि हम विपक्षीगण के पक्ष में मौजा सनवाड की आराजी नम्बर 3092 के पट्टे नगर पालिका फतहनगर सनवाड द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रियाओं के अनुसरण में नियमों की पूर्ण पालना कर जारी किये गये है जिनका विधिवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:43:33 IST
Reason: SelfAttested

पंजीयन भी नगरपालिका द्वारा हम विपक्षीगण के पक्ष में कराया गया हैं। हम विपक्षीगण को नगर पालिका फतहनगर सनवाड द्वारा जिस भूमि के अर्थात् आराजी नम्बर 3092 के जो पट्टे जारी किये गये है उसी भूमि पर हम विपक्षीगण काबिज हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं जिसमें प्रार्थी अथवा अन्य व्यक्ति का कोई हक अथवा दखल नहीं है, प्रार्थी जानबुझकर मिथ्या कथन कर, मिथ्या आरोप लगा कर हम विपक्षीगण के उक्त पट्टेशुदा भूखण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर हमें तंग, परेशान व जलील करना चाह रहा है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं हैं। हम विपक्षीगण द्वारा अपने भूखण्ड का सीमांकन करवाने के उपरान्त ही तारबन्दी करवाई गई है, इसी बात को लेकर प्रार्थी द्वारा हम विपक्षीगण के विरूद्व यह मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो अन्ततः खारिज होगा।

10. प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्य मिथ्या अंकित किये है जबकि वास्तविकता यह है कि हम विपक्षीगण के आराजी नम्बर 3092 के दक्षिण दिशा में स्थित आराजी नम्बर 6619/3091, 3091, 6249/3091 के बीच में मौके पर कोई विभाजन नहीं हो रखा है न ही मौके पर प्रार्थी अथवा सम्बन्धित खातेदारों द्वारा अपनी भूमि का कोई सीमांकन इत्यादि कर रखा है ऐसी अवस्था में प्रार्थी किस आधार पर हम विपक्षीगण पर आरोप–प्रत्यारोप कर रहा है यह तथ्य समझ से परे है क्योंकि मौके पर जब सम्पूर्ण आराजी एक चक है एवं उनके मध्य कोई सीमांकन नहीं किया गया है तो प्रार्थी किस आधार पर अपनी भूमि पर हम विपक्षीगण द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवाने का आरोप लगा न्यायालय को भ्रमित कर मनचाही दाद प्राप्त करना चाह रहा है जिसका वों कतई हकदार नहीं हैं।
11. प्रार्थी कौनसी भूमि का उपयोग उपभोग अपने परिवार के सदस्यों के सहित कर रहा है, यह तथ्य स्वंयमेव निराधार होकर समझ से परे है, क्योंकि आज भी मौके पर मूल आराजी नम्बर 3091 विभाजित न होकर एक चक है, जिसकी पुष्ठि जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न फोटा ग्राफ से हो रही हैं। हम विपक्षीगण अपनी रूपान्तरित भूमि का ईच्छा अनुसार उपयोग उपभोग करने, निर्माण करने हेतु स्वतन्त्र है किन्तु प्रार्थी जो हम विपक्षीगण से ईर्ष्या रखता है, उक्त मिथ्या एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित प्रकरण की आड में न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर हम विपक्षीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचा हमें ब्लेकमेल करना चाहता हैं।
12. हम विपक्षीगण शांतिप्रिय व्यक्ति हो अपने अपने काम से काम रखने वाले हैं। हमें प्रार्थी भू माफिया बता हमारी छवि को धुमिल करने की कुचैष्ठा कर रहा है जो भी कार्य हम विपक्षीगण द्वारा किया अथवा करवाया जा रहा है वों अपनी स्वामित्व की भूमि पर ही करवाया जा रहा है न कि प्रार्थी द्वारा उल्लेखित तथाकथित आराजी अथवा अन्य आराजीयात पर न तो प्रार्थी द्वारा अथवा उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा हम विपक्षीगण से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:43:33 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर आकर वार्तालाप की गई न ही प्रार्थी कभी वहां पर आया मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की गरज से प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथन कर उसके साथ धमकी देने/गाली गलोच करने का कथन किया है जो सरासर गलत हैं। प्रार्थी विपक्षीगण से द्वेषता रखता है उसमें उक्त प्रार्थना पत्र भी द्वेषतापूर्वक प्रस्तुत किया है क्योंकि उसे यह डर है कि उसके द्वारा उल्लेखित आराजीयात के आगे आम रोड की ओर यदि हम विपक्षीगण कोई निर्माण करायेंगे तो उसकी भूमि की वेल्यु कम हो जायेगी इस वजह से ईर्ष्यावश प्रार्थी द्वारा यह मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी हम विपक्षीगण की स्वामित्व की भूमि पर करवाये जा रहे कार्य को किसी भी आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा कर रूकवाने अथवा हटवाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थी का हम विपक्षीगण की सम्पति में कोई हक अथवा दखल नहीं हैं।

13. यह कि प्रार्थी का किसी भी सूरत में कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है क्योंकि प्रार्थी मूल आराजी नम्बर 3091 के किस हिस्से पर काबिज है जब तक यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक प्रार्थी द्वारा उल्लेखित तथाकथित आराजीयात के उपयोग उपभोग करने का कथन स्वयमेव निराधार है। प्रार्थी द्वारा हम विपक्षीगण को भू–माफिया बता कर हमारे छवि को धुमिल करने की कुचैष्ठा की गई है जबकि हम विपक्षीगण शांतिप्रिय व्यक्ति होकर गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हम विपक्षीगण ने अपने स्वामित्व की भूमि के पट्टे नगर पालिका से प्राप्त किये है एवं उक्त पट्टेशुदा भूमि पर ईच्छा अनुसार निर्माण करवाने का हम विपक्षीगण को पूर्ण अधिकार है जिसको प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है न ही प्रार्थी हम विपक्षीगण को हमारी स्वामित्व की रूपान्तरित भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचा अथवा हमारे द्वारा हमारी स्वामित्व की भूमि पर करवाये जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाये जाने का अधिकारी हैं। सुविधा संतुलन अथवा अशोधनीय बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं।

14. यह कि दिनांक 17.02.2023 को कोई प्रार्थना पत्र कारण प्रार्थी के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण उत्पन्न नहीं हुआ है मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की गरज से प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथन कर प्रार्थना पत्र कारण अंकित किया गया हैं।

15. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमा कर हम विपक्षीगणों को विशेष हर्जाना दिलाया जावें।

16. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:43:33 IST
Reason: SelfAttested

में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

17. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षीगण खातेदार नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन* — चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षीगण को पाबंद किया जाने का निवेदन किया परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजीयात में निर्माण किया जा रहा हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व में निर्णित किया जाता है।

18. *अपूरणीय क्षति—* चूंकि वाद वर्णित भूमि पर विपक्षीगण द्वारा निर्माण करने के तथ्य को प्रार्थी साबित नहीं करवा पाये हैं। अतः विपक्षीगण को रोका जाता है तो विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

19. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात के पडौसी खातेदार हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजीयात में निर्माण कार्य किये जाने से प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से प्रार्थी को पाबंद कराना चाहता हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज अर्थात् पत्थरगढी इत्यादि जिससे कि यह साबित हो सके कि विपक्षीगण द्वारा किया जा रहा निर्माण प्रार्थी की आराजीयात में हो। विपक्षीगण द्वारा कार्यालय नगरपालिका फतहनगर सनवाड से निर्माण स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अन्य प्रकरण सं. 85/23 विविध नरेन्द्र कुमार बनाम रवि कुमार होकर आज दिनांक को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:13:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये हैं। परन्तु विपक्षीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि विपक्षीगण के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो तो विपक्षीगणों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:43:33 IST
Reason: SelfAttested